

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ४११५ / 2019

दिनांक : 19.10.2019

श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर को दिनांक 30.10.2019 से 02.11.2019 तक 04 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 25.10.2019 से 29.10.2019 एवं 03.11.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री गोयल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

  
19-10-19


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/33/2002/३००५

दिनांक : 19.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 11072 दिनांक 03.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राकेश गोयल (RJ0521), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई. प्रकरण), जोधपुर महानगर ।

  
19.10.2019

सहायक रजिस्ट्रार